विचार बिन्दु

भातृभाव का अस्तित्व केवल आत्मा में और आत्मा के द्वारा ही होता है, यह और किसी के सहारे टिक ही नहीं सकता। –श्री अरविंद

कर्ज के मकड़जाल में ग्रामीण, जागरुक होना जरुरी

या वज्जीवेत सुखं जीवेद, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः॥ लगता है चार्वाक का यह मूल मंत्र ग्रामीण क्षेत्र में भी असर दिखाने लगा है। सांख्यिकी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट तो इसी और इशारा करने लगी है। सांख्यिकी मंत्रालय की व्यापक वार्षिक माड्यूलर रिपोर्ट के अनुसार शहरों की तुलना में अब गांवों में कर्जदार अधिक होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गांवों में प्रति एक लाख पर 18714 लोगों ने किसी ना किसी तरह का कर्ज लिया है वहीं शहरी क्षेत्र का यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में कुछ कम 17442 है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब संस्थागत ऋणों की उपलब्धता सहज हो गई है पर गैर संस्थागत ऋण प्रदाताओं ने भी तेजी से पांव पसारे हैं। इन गैर संस्थागत ऋण प्रदाताओं में कहीं ना कहीं पुराने साहूकारों की झलक दिखाई देती है और यही चिंता का विषय है। दूसरी चिंता का कारण संस्थागत ऋण में भी इस तरह के ऋणों की ब्याजदर कहीं अधिक है और उससे भी ज्यादा गंभीर यह है कि संस्थागत हो या गैर संस्थागत ऋण प्रदाता ऋणी की एक किश्त भी समय पर जमा नहीं होती है तो फिर दण्डनीय ब्याज, वसूली के नाम पर संवर्क और पत्राचार आदि का खर्चा और इसी तरह के अन्य छुपे चार्जेज ऋणी की कमर तोड़ने में काफी है।

इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि शहरी नागरिकों की तरह ही ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर और रहन-सहन में सुधार होना चाहिए। शहरों से किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण पीछे नहीं रहने चाहिए। पर सवाल यह है कि कुछ इस तरह के ऋण होते हैं जिन्हें होड़ा होड़ी में ले लिया जाता है और उसका सीधा असर कर्ज के मकड़जाल में फंसने की तरह हो जाता है। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े तो यह भी बताते है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण लेने में महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं है और महिला ऋणियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दरअसल चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र अधिकतर व्यक्तिगत ऋण घरेलू जरुरतों को पूरा करने, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खान-पान और शानो शोकत से रहने के लिए पहनावे आदि के लिए ऋण लिया जाता है। गांव और शहरों में एक अंतर यह है कि शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी स्तर पर भी आसानी से उपलब्ध है वहीं गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जरुरतों को पूरा करने के लिए भी ग्रामीणों को ऋण लेना पड़ता है। यह सब कृषि कार्यों के लिए लिए जाने वाले ऋण से अलग हटकर है। वैसे भी अधिकांश स्थानों पर संस्थागत कृषि ऋण लगभग जीरो ब्याजदर पर या नाममात्र के ब्याज पर उपलब्ध होता है पर नकारात्मक पक्ष यह है कि बिना ब्याज के ऋण को समय पर नहीं चुका कर कर्ज माफी के राजनीतिक जुमले के चलते जीरो ब्याज सुविधा से भी बंचित हो जाते हैं। खैर यह विषय से भटकाव होगा।

दरअसल जब ऋण प्रदाता संस्था से ऋण लिया जाता है तो उस समय पर जो डाक्यूमेंट होता है वह इतना बड़ा और जटिल होता है कि उसे पूरा देखा ही नहीं जाता है और ऋण दिलाने वाला व्यक्ति टिक लगाये स्थानों पर हस्ताक्षर करने पर जोर देता है। पढ़ा-लिखा और समझदार व्यक्त भी पूरे डाक्यूमेंट से गो थ्रू नहीं होता और परिणाम यह होता है कि बाद में दस्तावेज के प्रावधानों के कारण दो-चार होना पड़ता है। हस्ताक्षर करने से हाथ बंध जाते है।

शहरों की तरह गांव भी आधुनिकतम सुख सुविधाओं से संपन्न हो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। विकास की गंगा भी सभी तरफ समान रुप से बहनी चाहिए। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। बल्कि यह सबका सपना है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ते कर्ज के पीछे जो चिंतनीय बात है वह यह है कि कहीं ग्रामीण कर्ज के मकड़जाल में फंसकर कुछ पाने की जगह खो अधिक दे। इसका बड़ा कारण यह है कि संस्थागत ऋण यानी कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण हो या फिर गैर संस्थागत ऋण परेशानी इनकी वसूली व्यवस्था को लेकर होती है। जितने ऋण देते समय सहृदय होते हैं ऋण की किश्त की वसूली के समय उतने ही बेदर्द होने में कोई कमी नहीं रहती। शहरों में आए दिन रिकवरी एजेंटों के व्यवहार से दो-चार होते देखने में आ जाते है। गांवों में तो वसूली करने वालों के टार्चर के हालात बदतर ही होंगे। ऐसे में समय रहते इस विषय में सोचना ही होगा।

यह अच्छी बात है कि ग्रामीण अपने जीवन स्तर के लिए चिंतित है और इसके लिए ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसे ग्रामीण क्षेत्र की बहबुदी का शुभ संकेत माना जा सकता है। पर सरकार और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैरसरकारी संगठनों के सामने बडी जिम्मेदारी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की आ जाती है। दरअसल जब ऋण प्रदाता संस्था से ऋण लिया जाता है तो उस समय पर जो डाक्यूमेंट होता है वह इतना बड़ा और जटिल होता है कि उसे पूरा देखा ही नहीं जाता है और ऋण दिलाने वाला व्यक्ति टिक लगाये स्थानों पर हस्ताक्षर करने पर जोर देता है। पढ़ा-लिखा और समझदार व्यक्त भी पूरे डाक्यूमेंट से गो थ्रू नहीं होता और परिणाम यह होता है कि बाद में दस्तावेज के प्रावधानों के कारण दो-चार होना पड़ता है। हस्ताक्षर करने से हाथ बंध जाते है। सवाल यह कि अभियान चलाकर यह बताया जाना जरुरी है कि ऋण की एक भी किश्त चुक गए तो कितना नुकसान भुगतना पड़ जाएगा और यदि दुर्भाग्यवश दो-तीन किश्त नहीं चुका पाये तो हालात बदतर हो जाएंगे और जिस तरह से किसी जमाने में साहूकार के चंगुल में फंस जाते थे वो ही हालात होने में देर नहीं लगती। दूसरा यह कि ऋण लेते समय प्राथमिकता भी साफ होनी चाहिए। केवल देखा देखी ऋण लेने की होड़ भी नुकसानदायक हो जाती है। गांवों में खेती की जमीन बेच कर अनावश्यक व दिखावे में राशि खर्च करने के दुष्परिणाम सामने हैं। ऐसे में बैंकों और एनजीओज को सामाजिक दायित्व समझते हुए अवेयरनेस प्रोग्राम चला कर लोगों को जागृत करना ही होगा नहीं तो कर्ज का यह मर्ज गंभीर रुप लेने में देरी नहीं लगायेगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

केंद्र सरकार फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा किन आधारों पर व कैसे करती है? कैसे सुधारों की आवश्यकता है?

महावीर सिंह

किसी अखबार में एक कुछ सकून देने वाला समाचार पढा था कि संसद की एक समिति नें MSP की कानूनी गारंटी देने की सिफारिश की है और रिपोर्ट संसद को सौंप दी है। आंशिक सकून देने वाला समाचार है क्योंकि अधिकांशत: सरकारी स्तर पर MSP की कानूनी गारंटी के विरोध में तरह तरह के तर्क, कुतर्क प्रस्तुत किये जाते रहते है। कोई कहता है खुला बाजार विकृत हो जाएगा, कोई कहता है कि सरकार का सारा बजट फसलों की ख़रीदयी में ही चला जाएगा। सामान्य कामकाज व विकास के लिए तो बजट ही नहीं बचेगा।

एक आम आदमी पूछता है, क्या व्यापारी खाद्यान व्यापार पूर्णत: बंद कर देंगे? क्या लोग अन्न सेवन बंद कर देंगे? क्या सारा अन्न सरकार को खरीदना पड़ेगा? क्या सरकार खरीदे हुए अन्न को लोगों में वितरित नहीं करेगी? क्या सरकार अन्न भंडारों से निर्यात नहीं करेगी? क्या यह जिम्मेदारी किसानों की है कि उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से नीचे अन्न बेच कर, उन्हें सब्सिडाइज करे? यह कैसे कुतर्क है कि मानों श्रृंखला लागू करने से खुले बाजार में अन्न व्यापार ही बन्द जाएगा? इन सब तर्क-कुतर्क पर सुधि पाठक स्वयं विचार करें।

यह सरकार के जनता से सीधे चुने हुए भाग पर निर्भर करता है कि वह रिपोर्ट स्वीकार करके MSP की लीगल गरंटी का कानून बनाती है या नहीं।

पाठकों को पहली बात तो यह समझनी है कि MSP सब फसलों के लिए नहीं बल्कि सरकार द्वारा अधिसूचित कुछ ही फसलों के लिए घोषित की जाती है जैसे गेंहू, चना, चावल, ज्वार, बजरा, कुछ दलहनी फसलें जैसे मूंग, मसूर उड़द आदि,कुछ तिलहनी फसलें जैसे सरसों आदि, गन्ना, कपास आदि आदि। इस प्रकार की फसलों की सूची केंद्र सरकार अधिसूचित करती है।

विभिन्न अधिसूचित फसलों की MSP निर्धारण के लिए CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) (कृषि लागत और मूल्य आयोग) केंद्र सरकार को अनुशंसाएं भेजता है। CACP विभिन्न फसलों से सम्बंधित लागत, उत्पादन के कई प्रकार के आंकड़े राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण मत्रालय से, केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से, श्रम कल्याण विभाग आदि से इक्कठा करता है। इनके आधार पर गणनाएं कर, खेती की लागत (कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन, COC), खेती से हुए उत्पादन की लागत, (COP, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन) व MSP पर अपनी अनुशंसाएं केंद्र सरकार को भेजता है।

केंद्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के आर्थिक-सांख्यकी-मूल्यांकन विभाग द्वारा कृषि लागत गणना 1970-71 से एक comprehensive स्टडी स्किम (व्यापक अध्ययन योजना)

MSP के अंतर्गत फार्म/पलोट स्तर से आंकड़े एकत्र किए जाते है। फिल्ड स्टडी में यह अपेक्षा की गई है कि रैंडम पद्दति से चुने तहसील, गांव व प्लॉट्स पर कृषि गतिविधियों यथा बान, जुताई, गुड़ाई, निराई आदि व किस फसल में कितने इनपुट्स किस मात्रा में कब कब काम में लिए गए, इनपुट्स का क्रय व उयोग कब हुआ, कब-कितने बाहरी मजदूर लगे, परिवार के सदस्यों का प्लाट पर खेती से जुड़ी क्रियाओं पर लगाया समय आदि विभिन्न क्रियाओं के आंकड़े दिन प्रतिदिन के आधार पर इक्कठे किए जाएंगे। हर राज्य में, राज्यों के लिए निर्धारित विश्वविधालय या अन्य संस्थाएं यह कार्य करते है। इस कार्य के लिए 100 प्रतिशत अनुदान कृषि मंत्रालय भारत सरकार देता है।

कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी के आंकड़े 2,3 क्रॉप सीजन (फसली वर्ष) पुराने होते है। उदहारण के लिए क्रॉप सीजन 2024-2025 के लिए कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी के आदिनांक आंकड़े उपलब्ध नहीं होने से 2020-21, 2021-22, 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर CACP नें फसलों के लिए खेती लागत (COC), कृषि उत्पाद लागत (COP) निकाल कर MSP की अनुशंसा की है।

राज्य सरकारें भी स्वतंत्र रूप से, अपने स्तर पर, ऐसे आंकड़े इक्कठा करवाती है और उनका उपयोग कर कृषि लागत आदि निकाल कर अपने स्तर से CACP को भेजती है। इसकी पद्दति-प्रक्रिया- केंद्र सरकार द्वारा कराई जाने वाली प्लाट लेवल स्टडी से भिन्न होता।

COC, COP, MSP निर्धारण के लिए आवश्यक बहुत से आंकड़े मुख्यत: कृषि इनपुट्स की लागत, किसी फसल का बुवाई के अंतर्गत रकबा, अनुमानित उत्पादन के सम्बंध में होते है। राज्य वार श्रमिक पारिश्रमिक दरों के आंकड़े श्रम कल्याण मंत्रालय के लेबर ब्यूरो से लिए जाते है। कृषि के लिए आवश्यक डीजल, फर्टिलाइजर्स, बिजली, कृषि उपयोग की मशीनें, पशु आहार व चारा, कीट नाशक आदि की कीमतों के आंकड़े भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व आर्थिक सलाहकार के दफ्तर में एकत्र होलसेल प्राइस इंडेक्स आंकड़ों से लिए जाते हैं।

CACP इन सब उपरोक्त उल्लेखित आंकड़ों का उपयोग कर MSP की गणना कर केंद्र सरकार को भेजता है।

कृषि लागत गणना में कृषि इनपुट्स की पहचान कर,उनकी लागत तय की जाती है। इन इनपुट्स में मानव -पशु-मशीन- श्रम, बीज, केमिकल व अन्य खाद, कीटनाशक, सिंचाई शामिल हैं। इन पर किसान द्वारा फसल उत्पादन में किए गये खर्चे को कृषि उत्पादन लागत में शामिल किया जाता है।। आयोग के द्वारा यह तय किया जाता है कि किस इनपुट का कृषि लागत में क्या वेटेज है। जैसे फसल वर्ष 24-25 के लिए कुछ वेटेज इस प्रकार तय किए गए::-- मानव श्रम 37.5, मशीन श्रम 27.3 व पशु श्रम का 1.3%, बीज का 10.3 व फर्टिलाइजर्स का 10% भाग है, आदि-आदि।

आयोग के द्वारा सारी इनपुट्स पर अलग अलग स्टेटवाईज इनपुट प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। और फिर उन आंकड़ों से राष्ट्रीय स्तर पर कम्पोजिट इनपुट प्राइस इंडेक्स (CIPI) की गणना की जाती है।

CIPI के आधार पर, इनपुट्स की लागत में गत तीन सालों के वास्तविक आंकड़ों में चालू फसली साल में क्या बदलाव रह सकता है, यह निकाला जाता है। जैसे फसल वर्ष 24-25 के लिए वर्ष 20-21, 21-22, 22-23 की इनपुट कीमतों का काम में लेकर सांख्यिकी गणना से एक कम्पोजिट इनपुट प्राइस इंडेक्स (CIPI) तैयार किया गया और उसके आधार पर, फसल वर्ष 24-25 के लिए इनपुट्स में संभावित परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है। राज्यवार वेटेज गणना में स्टेटस का वेटेज उस फसल के अंतर्गत देश में कुल क्षेत्रफल में उस स्टेट में उस फसल के क्षेत्रफल के हिस्से के अनुपात में होता है। जिन प्रदेशों में किसी फसल के अंतर्गत नगण्य क्षेत्रफल होता है, उस राज्य के लिए उस फसल के बारे में यह गणना नहीं कि जाती है। चालू फसली साल में किस फसल के अंतर्गत कितना रकबा है और कितना उत्पादन राज्य वार व देश में होगा इसका भी अनुमान लगाया जाता है। कृषि लागत, उत्पादन लागत व MSP निकलने और केंद्र सरकार को अनुशंषाएँ भेजने के लिए, कृषि लागत व मूल्य आयोग

प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए कई प्रकार की सूचनाएं, कई स्त्रोतों से एकत्र की जाती हैं। कृषि इनपुट्स, मानव-मशीन-पशु आदि के श्रम के आंकड़े, फील्ड स्टडी से इक्कठे किए जाते है। प्लाट स्तर से लेकर राज्य स्तर पर राज्यवार कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाती है। अलग-अलग प्रदेशों के लिए इनमें अंतर होगा। इसे भी उस फसल के कुल उत्पादन व देश स्तर पर कुल उत्पादन के अनुपात में वेटेड एवरेज निकाल कर, राष्ट्रीय स्तर का प्रत्येक फसल की खेती व का उत्पादन लागत के आंकड़े निकाले जाते है।

पॉपुलर भाषा कृषि उत्पाद की कुल लागत आंकड़े को A2 कृषि लागत कहा जाता है। A2 कोस्ट में खाद, बीज, कीटनाशक, बाहरी मजदूर को दी गई नकद मजदूरी, सिंचाई, फ्यूल आदि गई नकद व्यय शामिल है।

FL में पारिवारिक सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार से किए गए काम जैसे बुवाई, विडिंग, फसल कटाई का अनपेड श्रम मूल्य शामिल किया जाता है। FL को जोड़ कर A2+FL लागत निकाली जाती है। ।

कृषि उत्पादन के मूल्यों में एक ओर मूल्य C2 भी चर्चा में रहता है। डॉक्टर एम. स्वामीनाथन किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु गठित डॉक्टर एम स्वामीनाथन आयोग नें C2 कोस्ट परिभाषित की थी ।

C2 में, A2+FL में पारिवारिक अनपेड श्रम का मूल्य जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए काम में ली जाने वाली स्थायी मशीनरी, औजार-उपकरण, गोदाम-मकानात, आदि के मूल्य पर ब्याज जोड़ने की बात की जाती है। इसमें खेती के लिए आवश्यक वर्किंग पूंजी पर ब्याज जोड़ा जाता है। इसमें भूमि की रेंटल आय जोड़ी जाती है।

केंद्र सरकार की वर्तमान व्यापक अध्यन योजना की मैथडोलोजी में कमियां:-इस योजना के अंतर्गत फिल्ड कार्यकर्ताओं से यह अपेक्षा की गई है कि प्लाट केवल सर्वे के आंकड़े दिन-प्रतिदिन के आधार पर इक्कठे किए जाएंगे। प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए इसी प्रकार की सूचनाएं, आंकड़े प्लाट स्तर से लेकर राज्य स्तर पर राज्यवार कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाती है। अलग-अलग प्रदेशों के लिए इनमें अंतर होगा।

इसे भी उस फसल के कुल उत्पादन व देश स्तर पर कुल उत्पादन के अनुपात में वेटेड एवरेज निकाल कर, राष्ट्रीय स्तर का प्रत्येक फसल की खेती व का उत्पादन लागत के आंकड़े निकाले जाते है। हर राज्य में, राज्यों के लिए निर्धारित विश्वविधालय या अन्य संस्थाएं यह कार्य करते है। इस कार्य के लिए 100% अनुदान कृषि मंत्रालय भारत सरकार देता है।

कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी प्रक्रिया में सुधार के लिए 1979-80 में सेन कमेटी गठित की गई। 1990 में हनुमंत राव कमेटी गठित की गई। इनकी सिफारिशों के आधार पर प्रक्रिया में कुछ सुधार किए गए। फिर भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार अभी काफी कमियां है जैसे स्कीम सभी राज्यों में ऑपरेटिव नही, सारी फसलों के लिए नहीं होकर मुख्यत: केवल कुछ (25) ही वार्षिक फसलों जैसे पैड़ी, गेंहू आदि व कपास गन्ना आदि के लिए है। सेम्पल्स चयन में विभिन्न श्रेणियों जैसे खातेदार, शेयर क्रोपर, बटाईदार, लीज होल्डर आदि का पर्याप्त मिश्रण नहीं आदि।

हनुमंत राव कमेटी की अनुशंसा थी कि मैनेजेरियल कोस्ट के रूप में A2 कोस्ट का 10% जोड़ा जाए किन्तु सरकार नें इसे C2 कोस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया जो विशेषज्ञों व CACP की अनुसार उचित नहीं। एक अन्य समस्या खुद की भूमि व बटाई पर ली गई भूमि की रेंटल वैल्यू से सम्बंधित है। इससे कोई स्पष्टता नही। उपरोक्त वर्णित दोनों कमेटियों की अनुशंषाएँ सम्पूर्णता में लागू नहीं हुई है। इसी प्रकार कृषि उपयोग की स्थायी सम्पतियों यथा ट्रैक्टर, पलौ, हार्वेस्टर आदि, दूसरे छोटे औजार-उपकरण, गोदाम आदि के मूल्य पर 10% व वर्किंग राशि पर 12.5% ब्याज केवल आधे समय के लिए गणना में लिया जाता है।

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंटल स्टैंडिंग के प्रोफेसर आर रामकुमार और साथी आशीष कुमार के एक शोध पत्र के अनुसार CACP की अनुशंषाएँ 2 से 3 व अधिक वर्ष पुराने फील्ड लेवल डाटाज पर आधारित होती है। उन्होनें वर्ष 2004-05 से 2015-16 तक के उपलब्ध फील्ड डाटाज के आधार A2+FL व अन्य कोस्ट्स की गणनाओं और CACP के द्वारा गणना की A2+FL व दूसरी कोस्ट्स की तुलना की।

उनका यह निष्कर्ष था कि, आदिनांक फील्ड लेवल डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण, पुराने वर्षों के फील्ड लेवल डेटा उपयोग में लेने से कई वर्षों में 20 से 30% तक कम MSP की सिफारिश की गई।

इस शोध पत्र के अनुसार यद्यपि CACP द्वारा कुछ फसली सालों में, पुराने डेटा को उपयोग में लाते वक्त करेक्शन फैक्टर भी काम में लिया है किंतु इसके बावजूद A2+FL व C2 कोस्ट कम ही थी।

CACP के ध्यान में यह कमियां है किंतु अभी उचित समाधान नहीं हुआ है। CACP की रेकमनडेसन्स के अनुसार फील्ड लेवल डेटा रियल टाइम बेसिस पर इक्कठे किये जाएं। फील्ड लेवल पर चयनित कृषकों के सेल फोन नम्बर आयोग से शेयर किए जाएं ताकि प्रारंभिक क्रॉस चेक कर आश्वस्त हुआ जा सके कि कार्य सही प्रकार से हो रहा हैं अथवा नहीं।

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

राजगढ़ धाम पर मनोकामनापूर्ण स्तम्भ की 22वीं वर्षगांठ का महोत्सव मनाया

अजमेर, (कासं)। श्री मसाणिया भैरवधाम चैरिटेबल ट्रस्ट राजगढ़ के तत्वावधान में ग्राम राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरवधाम पर मनोकामनापूर्ण स्तम्भ की 22वीं वर्षगांठ का महोत्सव धूमधाम के साथ बाबा भैरव व मां कालिका के जयकारों के बीच मनाया गया।

धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि मंदिर में बुधवार को प्रात: मनोकामनापूर्ण स्तम्भ पर पंड़ित चन्द्रशेखर आचार्य व मोहित आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाराज व मुख्य अतिथि के सानिध्य में हवन-यज्ञ सम्पन्न करवाया। हवन की पूर्णाहुति के बाद मां कालिका व बाबा भैरव की व गुरूआरती हुई। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य उपासक चम्पालाल महाराज तथा अन्य अतिथियों द्वारा मंदिर पर ध्वजारोहण से हुआ। मुख्य अतिथि केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने श्रद्धालुओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैंने देशभर में भ्रमण किया है, लेकिन राजगढ़ धाम राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में अद्भुत ख्याति प्राप्त देवस्थान है, जहां चम्पालाल महाराज श्री निस्वार्थ भाव से मानव जीव प्राणी की सेवा कर रहे हैं, जिसका बखान शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। महाराजश्री द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर समाज के कल्याणकारी कार्य जैसे नशामुक्ति का अभियान व समाजकंटकों द्वारा की जा रही है। कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में धाम पर चल रहे महाअभियान बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व जल स्वालम्बन अपने आप में अनूठी मिसाल व्यक्त करता है। श्री मसाणिया भैरवधाम चैरिटेबलट्रस्ट राजगढ़ के तत्वावधान में नशा मुक्ति व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान के अंतर्गत लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने राजगढ़ धाम में संकल्प लिया है, यह भी अपने आप में अनूठी मिसाल है।

ग्राम राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरवधाम पर आयोजित महोत्सव में मुख्य उपासक चम्पालाल महाराज, केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी आदि मौजूद रहे।

■ लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े, वर्षगांठ महोत्सव पर गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी

इस अवसर पर भैरवधाम पर प्रदेश के कई मंत्री, विधायक, प्रशासनिक और पुलिस के आलाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में भीड़ का आलम यह था कि श्रद्धालुओं की संख्या लाखों के आंकड़े को भी पार कर गई। श्रद्धालु सायंकाल आरती तक धाम पर आकर परिक्रमा करते रहे और बाबा भैरव व मां कालिका के समक्ष शीश झुकाकर चम्पालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। वर्षगांठ महोत्सव पर भजन गायक कलाकार नरेश दग्दी, ज्योति सैनी ने बाबा भैरव के भजनों की प्रस्तुतियां दी।

दिसम्बर के दूसरे पखवाड़े में दो पश्चिमी विक्षोभ ला रहे तापमान में उतार-चढ़ाव

बीकानेर, (निसं)। लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा मौसमी उतार-चढ़ाव वाला साबित हो रहा है। 24 घंटे पहले बादलों के छाने से रात का पारा 14 डिग्री तक पहुंच गया। सामान्य से 7 डिग्री पारा अधिक होते ही मावठ हो गई। सोमवार को मावठ के बाद जब हवा चली तो वापस तापमान 6 डिग्री गिरा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से गिरकर 8.4 डिग्री जा पहुंचा। 27 दिसम्बर को फिर से मावठ के आसार जताए जा रहे हैं। इसलिए 8.4 डिग्री वाला तापमान वापस 13-14 डिग्री तक जाने की संभावना है।

जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह रात का पारा 4.8 डिग्री तक पहुंच गया था। कड़ाके की सर्दी शुरू ही हुई थी कि अचानक पश्चिमी विक्षोभ आ गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आसमान में बादल छाए तो पारा 14 डिग्री तक पहुंच गया। यानी सिर्फ दो दिन में तापमान ने 9 डिग्री से ज्यादा की उछाल भरी। उसके बाद 24 घंटे पहले 8 घंटे में तीन बार बूंदाबांदी हुई। मावठ सिर्फ एक एमएम हुई लेकिन सोमवार को दोपहर बाद चली बर्फीली हवाओं ने लोगों को कंपा दिया। इसी वजह से बीती रात का पारा 8.4 डिग्री रिकार्ड किया गया। 24 घंटे में ही 6 डिग्री तापमान में फिर गिरावट हुई। सिर्फ 4 दिन में 10 डिग्री के करीब तापमान का उतार-चढ़ाव हुआ। इस रात को भी तापमान 8 डिग्री के आसपास ही रहेगा लेकिन 26 और 27 को वापस बादल छाएंगे और तापमान में उछाल जाएगा।

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि गुरुवार को तापमान 13 से 14 डिग्री के करीब होगा, यानी साल का अंतिम सप्ताह काफी उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। इसी सप्ताह तापमान भी ज्यादा रहेगा। बारिश भी होगी और कोहरा भी छाने के आसार हैं।

राशिफल गुरूवार 26 दिसम्बर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2081, स्वाती नक्षत्र सायं 6:10 तक, सुकर्मा योग रात्रि 10:23 तक, बव करण दिन 11:37 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सफला एकादशी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:35 तक। चर 11:10 से 12:27 तक, लाभ-अमृत 11:17 से 3:02 तक, शुभ 4:14 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:18, सूर्यास्त 5:37

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

वृष
व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मिथुन
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में संयम रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को तनाव पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।